रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1973/श्रावण 22, 1895
No. 283] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1973/SRAVANA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1973

S O. 435(E)—WHEREAS by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S. O. 4320/18A/IDRA/69, dated the 22nd October, 1969, read with the order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S. O. 3851, dated the 12th October, 1971, the management of the undertaking known as the Krishnaveni Textiles Ltd., Coimbatore had been taken over by the Authorised Controller referred to in the order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 21st October, 1973 ;

AND WHEREAS the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should ontinue for a further period of one year ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order first mentioned above shall continue to have effect for a urther period up to and inclusive of the 21st October, 1974.

[No. F. 28013/79/73-Tex (G)].

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1973

का० आ० 435(अ)—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 3851, तारीख 12 अक्तूबर, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 4320/18ए/आई डी आर ए/69, तारीख 22 अक्तूबर, 1969 द्वारा कृष्णावणी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कोयम्बतूर नामक उपक्रम का प्रबन्ध ऊपर द्वितीय उल्लिखित आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रकद्वारा 21 अक्तूबर, 1973 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए, ग्रहण कर लिया गया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए,

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देती है कि ऊपर द्वितीय उल्लिखित आदेश 21 अक्तूबर, 1974 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[सं० फा० 28013/79/73–टेक्स० (जी)]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973